उ0प्र0 शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या–979/69–1–13–14(104)/2013
लखनऊः दिनांक 27 – 6 – 2014

कार्यालय–ज्ञाप

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मिशन डाक्यूमेण्ट में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु शहर स्तर पर शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0यू0) के गठन का प्राविधान किया गया है। शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा मिशन के क्रियाकलापों का क्रियान्वयन स्थानीय नगर निकायों के माध्यम से किया जायेगा।

2. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी.एम.एम.यू.) के अन्तर्गत एक सिटी प्रोजेक्ट आफीसर की नियुक्ति की जायेगी। नगर निगम वाले शहरों में उप नगर अधिकारी अथवा उनके समकक्ष अधिकारी तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत वाले शहरों में अधिशासी अधिकारी व उनके समकक्ष अधिकारी को सिटी प्रोजेक्ट आफीसर नामित किया जायेगा। नगर निगम वाले शहरों के सिटी प्रोजेक्ट आफीसर की सहायता हेतु डूडा के कम से कम 02 सहायक परियोजना अधिकारियो की तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत वाले शहरों में सिटी प्रोजेक्ट आफीसर की सहायता हेतु डूडा के परियोजना अधिकारी को नामित किया जायेगा। शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी0एम0एम0यू0) के अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जायेगी जो क्रमशः सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (Social Mobilization & Institution Development), कौशल और आजीविका (Skill & Livelihood), वित्तीय समावेश और लघु उद्यम (Financial Inclusion & Micro Enterprises), एम0आई0एस0 एण्ड एम0ई0 (Management of Information System and Monitoring & Evaulvation) आदि क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। 05 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रति शहर 04 तकनीकी विशेषज्ञ, 03 से 05 लाख आबादी वाले शहरों में प्रति शहर 03 विशेषज्ञ तथा 03 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रति शहर 02 विशेषज्ञ रखे जायेगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अथवा स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा वित्त एवं लेखा, अवस्थापना कार्य व अन्य सहायक सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी शहरी मिशन प्रबन्धन इकाई में नियुक्त किए जाएँगें।

3. शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) योजना के घटकों के कियान्वयन हेतु सामुदायिक आयोजक (सी0ओ0) नियुक्त किये जायेगें। प्रत्येक सामुदायिक आयोजक (सी0ओ0) द्वारा कम से कम 3000 शहरी गरीब परिवारों को आच्छादित कर कार्य किया जायेगा। सामुदायिक आयोजक (सी0ओ0) शहर विशेष की आवश्यकता के अनुसार धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप रखे जायेगें। एन0यू0एल0एम0 हेतु चयनित शहरों में प्रत्येक में कम से कम 01 सी0ओ0 की नियुक्ति आवश्यक होगी। सी0ओ0 अपने क्षेत्र में शहरी गरीबों हेतु सामाजिक गतिशीलता का कार्य करेगें और एन0यू0एल0एम0 के अंतर्गत लाभ दिलाने में सहायता करेगें इसके साथ ही समुदाय को समूह/संघ के गठन में सुविधा प्रदायक का कार्य करेगें।

4. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0यू0) के अंतर्गत रखे जाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों एवं सामुदायिक आयोजकों की शैक्षिक योग्यता, कार्य, जिम्मेदारी, भर्ती प्रक्रिया, परिश्रामिक इत्यादि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा एन0यू0एल0एम0 के उपघटक क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण (Capacity Building & Training) (सी0बी0 एण्ड टी0) के प्रचलात्मक दिशनिर्देश (Operational Guideline) में स्पष्ट रूप से किया गया है।

5. यदि शहरी मिशन प्रबन्धन इकाई के पद किसी भी कारणवश नही भरे जाते है अथवा नियुक्ति में विलम्ब होता है तो राज्य सरकार द्वारा इन पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्न शर्तो को पूर्ण करने वाले सरकारी अधिकारियो/कर्मचारियो से भरा जा सकता हैः–

क– प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी अनिवार्य रूप से पद विशेष हेतु निर्धारित आवश्यक पात्रता / योग्यता रखता हो।

ख– प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक होगी अर्थात उपयुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति होने तक यह प्रतिनियुक्ति बनी रहेगी।

ग– वेतन और भत्तों का भुगतान एन0यू0एल0एम0 के अन्तर्गत निर्धारित मानक की सीमा तक ही होगा। वेतन, भत्तों के मद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान होता है तो यह व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

6. शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी0एम0एम0यू0) के अंतर्गत नियुक्त किये जाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों और सामुदायिक आयोजक (सी0ओ0) के परिश्रामिक और प्रशिक्षण आदि का होने वाला व्यय क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण (Capacity Building and Training) (सी0बी0 एण्ड टी0) उपघटक के मद में निर्धारित धनराशि से ही किया जायेगा। सी0 बी0 एण्ड टी0 उपघटक के मद में केन्द्राश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत के अनुपात में धनराशि प्राप्त होगी। प्रदेश सरकार द्वारा एन0यू0एल0एम0 के लिए कुल आवंटन का 12 प्रतिशत तक की धनराशि सी0बी0 एण्ड टी0 उपघटक हेतु व्यय की जायेगी। यह निधि पांच वर्ष की अवधि के लिये होगी। उक्त अवधि के पश्चात् इस मद में होने वाला व्यय राज्य सरकार को अपने वित्तीय स्रोतो से करना होगा।

7. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार मिशन निदेशक द्वारा शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी0एम0एम0यू0) का तत्काल गठन करते हुये एन0यू0एल0एम0 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

28/6/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

सं–979 (1)69–1–13–14(104) / 2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
2 निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0।
3 निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उ0प्र0।
4 निजी सचिव, मा0 श्रम व रोजगार मंत्री, उ0प्र0।
5 निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उ0प्र0।
6 निजी सचिव, मा0 उद्योग मंत्री, उ0प्र0।
7 निजी सचिव, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उ0प्र0।
8 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
9 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
10 सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
11 प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
12 प्रमुख सचिव / सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
13 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
14 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
15 प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
16 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
17 प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
18 प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0शासन।

19 प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
20 प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0शासन।
21 निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
22 मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
23 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग
संख्या–1860 /69–1–14–14(104)/2013
लखनऊ : दिनांक : 16 दिसम्बर, 2014

शुद्धि–पत्र

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के शहर स्तर पर कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु "शहर मिशन प्रबन्धन ईकाई (सीएमएमयू)" के गठन विषयक नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यकम अनुभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–979/69–1–14–14(104)/2013, दिनांक 27 जून, 2014 (जो त्रुटिवश 979/69–1–13–14(104)/2013, दिनांक 27 जून, 2014 अंकित हो गया है) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त कार्यालय–ज्ञाप के प्रस्तर–2 में उल्लिखित है कि **"नगर निगम वाले शहरो के सिटी प्रोजेक्ट आफीसर की सहायता हेतु डूडा के कम से कम 02 सहायक परियोजना अधिकारियों की तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत वाले शहरों में सिटी प्रोजेक्ट आफीसर की सहायता हेतु डूडा के परियोजना अधिकारी को नामित किया जायेगा।"**

3. उपरिसन्दर्भित कार्यालय–ज्ञाप के प्रस्तर–2 में उक्त के स्थान पर **"नगर निगम वाले शहरों के सिटी प्रोजेक्ट आफीसर की सहायता हेतु डूडा के कम से कम 02 परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी एवं नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत वाले शहरों के सिटी प्रोजेक्ट आफीसर की सहायता हेतु डूडा के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी को नामित किया जायेगा।"** पढ़ा जाय।

4. अतः उपरिसन्दर्भित कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 27 जून, 2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आ0 480
17/12/14
5-40PM

JD/PD
17/12/14

16/12/2014
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

सं0–1860 (1)69–1–14–14(104)/2013 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उ0प्र0
4. निजी सचिव, मा0 श्रम व रोजगार मंत्री, उ0प्र0।
5. निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 उद्योग मंत्री, उ0प्र0।
7. निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री, उ0प्र0।

8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
10. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
11. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
16. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
17. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
18. प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
19. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
20. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
21. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक–1824/241/एनयूएलएम/तीन/2001(सीबी एण्ड टी), दिनांक 25.08.2014 के सन्दर्भ में।
22. मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
23. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।